ए.

भारतबेन नयाभा केर और हमारा

वी.

सिदाभा पेठाभा मान और ओ. आर. एस. (2018 की सिविल अपील संख्या 2697)

अप्रैल 5,2018 * और अप्रैल 6,2018 * *

बी.

[दीपक मिश्रा**,** सीजेआई**,** ए**.** एम**.** खानविलकर और डॉ**.** डी**.** वाई**.** चंद्रचूड़**,** जे**.** जे**.]**

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 -s.166-मोटर दुर्घटना के कारण मृत्यु-न्यायाधिकरण ने अपीलार्थीगण के मुआवजे के दावे को 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ अनुमति दी-उच्च न्यायालय ने जीवन की हानि, खर्च और संघ के शीर्ष के तहत <आई. डी. 1,000/- की अतिरिक्त राशि की अनुमति दी, लेकिन भविष्य की संभावनाओं के लिए अनुमति नहीं दी और ब्याज की दर को भी 12 प्रतिशत प्रति वर्ष से घटाकर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया।-अपील पर कहा गयाःप्रणय सेठी में संविधान पीठ के फैसले को ध्यान में रखते हुए, मृतक की आयु (41 वर्ष) को ध्यान में रखते हुए भविष्य की संभावनाओं के कारण 25 प्रतिशत की वृद्धि की आवश्यकता है-मुआवजे की मात्रा दावे की याचिका की तारीख से 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ बढ़ाकर 67,000 रुपये कर दी जाएगी।

सी.

डी.

अपीलार्थीगण के हित में पूर्ववर्ती की मृत्यु हो गई जब वह जिस जीप में यात्रा कर रहे थे**,** वह पहले प्रत्यर्थी द्वारा संचालित एक ट्रक से टकरा गई।एम**.** ए**.** सी**.** टी**.** ने रुपये की राशि में दावे की अनुमति दी**-12** प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ**,** जबकि अपीलार्थीगण ने **Rs.13** लाख के लिए दावा किया था।अपील में**,** उच्च न्यायालय ने जीवन की हानि**,** व्यय और संघ के शीर्ष के तहत **1,000** रुपये की अतिरिक्त राशि की अनुमति दी**,** लेकिन ब्याज की दर को **12** प्रतिशत प्रति वर्ष से घटाकर **9** प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया। इसलिए**,** वर्तमान अपील।

ई.

एफ.

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़नाः**1.1** उच्च न्यायालय ने मृतक की कुल आय **91,800** रुपये **(55,000** रुपये कृषि से आय और **36,800** रुपये वेतन से आय**)** की गणना की थी।प्रणय सेठी में संविधान पीठ के फैसले को देखते हुए**,** मृतक की आयु **(41** वर्ष**)** को ध्यान में रखते हुए भविष्य की संभावनाओं के कारण **25** प्रतिशत की वृद्धि आवश्यक है।भविष्य की संभावनाओं के लिए **25** प्रतिशत के हिसाब के बाद कुल आय काम करेगी।

जी.

* 05.04.2018 * * शुद्धिपत्र दिनांक 06.04.2018 पर दिया गया निर्णय

एच.

1052 ए.

1053

भारतबेन नयाभा केर बनाम सदाभा पेठाभा मानके ए

रुपये **1,14,000-**प्रति वर्ष।व्यक्तिगत खर्चों के कारण एक चौथाई राशि को कम करना होगा।शुद्ध आय **85,500/-** रुपये होगी।**14** के गुणक को लागू करने पर**,** कुल मुआवजा **11,97,000-**रु**.** होगा।प्रणय सेठी में निर्णय में निर्धारित पारंपरिक शीर्षों के तहत **70,000/-** रुपये की अतिरिक्त राशि को जोड़ते हुए**,** देय कुल मुआवजा **12,67,000-** रुपये हो जाएगा।उच्च न्यायालय द्वारा **9** प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने का कोई कारण नहीं है।मुआवजे की राशि बढ़ाकर **1** करोड़ रुपये कर दी जाएगी**-**जिस पर दावा याचिका की तारीख से **9** प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा।**[**पैरा **5-7] [1054-**जी**-**एच**; 1055-**ए**-**सी**]**

बी.

सी.

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी

(2017) 13 स्केल **12-**अनुसरण किया गया।मामला कानून संदर्भ

(2017) 13 स्केल **12** के बाद पैरा **4** आया।

डी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2018 की सिविल अपील संख्या 2697।

1999 के प्रथम अपील सं. 5010 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांकित 15.03.2016 के निर्णय और आदेश से।

ई.

पूर्वीश जितेंद्र मलकान, सुश्री दीपा गोरसिया, श्रीमती धुरिता पूर्वीश मलकान, सुश्री रूमी चंद, भास्कर सिंह, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. 1.वर्तमान अपील उठती है

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एम. ए. सी. टी.), जामनगर के फैसले की पहली अपील में 15 मार्च 2016 के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले से।

एफ.

2. अपीलार्थीगण नयभमाप्भा केर के उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधि हैं जिनकी 18 जुलाई 1993 को एक मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु हो गई थी।वह पंजीकरण संख्या जी. बी. आई.-7896 वाली जीप में यात्रा कर रहे थे जिसे चौथे प्रत्यर्थी द्वारा मीठापुर की ओर चलाया जा रहा था।लगभग 3 बजे पहला प्रत्यर्थी जो पंजीकरण No.GJ-10-T-747 वाला ट्रक चला रहा था, विपरीत दिशा से आया और जीप से टकरा गया।नयभा गंभीर रूप से घायल हो गईं और दुर्घटना के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।उनके उत्तराधिकारियों ने धारा के तहत दावा याचिका दायर की।

जी.

एच.

166 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत एम. ए. सी. टी., जामनगर के समक्ष 13 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की गई।19 जुलाई 1999 के अपने निर्णय द्वारा न्यायाधिकरण ने 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ एक करोड़ रुपये की राशि के दावे की अनुमति दी।अपीलार्थीगण ने गुजरात उच्च न्यायालय में पहली अपील दायर की।उच्च न्यायालय ने अपने विवादित फैसले में जीवन की हानि, व्यय और संघ के तहत 33,000 रुपये की अतिरिक्त राशि की अनुमति दी, लेकिन ब्याज की दर को 12 प्रतिशत प्रति वर्ष से घटाकर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया। उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित दावेदार अपील में हैं।

बी.

3. दुर्घटना के समय मृतक की आयु 41 वर्ष थी।उन्होंने बी. ए. और बी. एड. की योग्यता प्राप्त की थी।सात साल तक उन्होंने तालुका पंचायत के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।मृतक के पास कृषि भूमि थी।न्यायाधिकरण ने मृतक की वार्षिक आय का आकलन Rs.81,000 किया जिसमें उसकी कृषि आय और अन्य स्रोतों से आय शामिल थी।12 के गुणक को लागू करते हुए, न्यायाधिकरण ने रुपये की राशि की गणना की। निर्भरता के नुकसान के लिए 7.56 लाख।पारंपरिक शीर्षों सहित कुल 7.78 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई।अपील में, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कुल आय 92,000 रुपये होगी जिसमें से एक चौथाई व्यक्तिगत खर्चों के लिए काट ली जाएगी।14 के गुणक को लागू करते हुए, उच्च न्यायालय ने 33,000 रुपये की अतिरिक्त राशि का आदेश दिया।हालांकि, ब्याज की दर घटाकर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दी गई है।

सी.

डी.

ई.

4. मूल रूप से अपीलार्थीगण की ओर से दो प्रस्तुतियों का आग्रह किया गया है।सबसे पहले, यह आग्रह किया गया है कि उच्च न्यायालय ने भविष्य की संभावनाओं की अनुमति नहीं दी है, जिसके लिए राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी 1 में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा तय किए गए कानून को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किया जाना चाहिए।दूसरा, यह आग्रह किया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा ब्याज के अधिनिर्णय को 12 प्रतिशत प्रति वर्ष से घटाकर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष करने का कोई औचित्य नहीं है।

एफ.

5. उच्च न्यायालय ने मृतक की कुल आय 91,800 रुपये (55,000 रुपये कृषि से आय और 36,800 रुपये वेतन से आय) की गणना की है।प्रणय सेठी (ऊपर) में संविधान पीठ के फैसले को देखते हुए, मृतक की उम्र को ध्यान में रखते हुए भविष्य की संभावनाओं के कारण 25 प्रतिशत की वृद्धि आवश्यक है।भविष्य की संभावनाओं के लिए 25 प्रतिशत पर लेखांकन के बाद कुल आय प्रति वर्ष 1,14,000 रुपये हो जाएगी।व्यक्तिगत खर्चों के कारण एक चौथाई राशि को कम करना होगा।शुद्ध आय

जी.

1 (2017) 13 स्केल 12 ए

एच.

यह 85,500 रुपये तक काम करेगा।14 के गुणक को लागू करने पर कुल मुआवजा 11,97,000 रुपये हो जाएगा।प्रणय सेठी (ऊपर) में निर्णय में निर्धारित पारंपरिक शीर्षों के तहत 70,000 रुपये की अतिरिक्त राशि को जोड़ते हुए, देय कुल मुआवजा 12,67,000 होगा।

6. हम उच्च न्यायालय द्वारा 9 प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज के अधिनिर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं।

बी.

7. तदनुसार अपील को यह निर्देश देते हुए अनुमति दी जाती है कि मुआवजे की राशि बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी जाएगी, जिस पर दावा याचिका की तारीख से 9 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज देय होगा।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

सी.

कॉरिजेनडम

1. 5 अप्रैल 2018 को निर्णय दिए जाने के बाद, निर्णय में कुछ टंकण संबंधी गलतियों को सुधारने के लिए मामले का उल्लेख किया गया है।हम तदनुसार 5 अप्रैल 2018 के फैसले को निम्नलिखित हद तक सही करते हैं:

डी.

(i) पैराग्राफ 4 के अंतिम वाक्य को इस प्रकार पढ़ने के लिए सही किया जाएगा:

“दूसरा, यह आग्रह किया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा ब्याज के अधिनिर्णय को 12 प्रतिशत प्रति वर्ष से घटाकर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष करने का कोई औचित्य नहीं है।

ई.

((ii) निर्णय का अनुच्छेद 6 निम्नलिखित अनुच्छेद के साथ प्रतिस्थापित होगा:

“हम उच्च न्यायालय द्वारा 9 प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज के अधिनिर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं।”

एफ.

दिव्या पांडे

अपील की अनुमति दी गई।

जी.

एच.